



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264147  
CG-DL-E-25062025-264147

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/ आषाढ़ 4, 1947

No. 369]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ ASHADHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

सा.का.नि. 412(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण ( राजभाषा विभाग का स्वर्णिम वर्ष समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- राजभाषा विभाग का स्वर्णिम वर्ष समारोह के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में केवल पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमा और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	वृत्ताकार मिलीमीटर 44	200	शुद्ध चांदी 99.9 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों में उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- राजभाषा विभाग का स्वर्णिम वर्ष समारोह के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

#### प्रथम अनुसूची

(नियम 4 देखें)

##### पचास रुपये

##### अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “50” भी होगा।

##### पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में पंखुड़ियों में हिन्दी वर्णमाला के अक्षर सहित कमल के आकार का डिज़ाइन होगा जिसके बीच में एक वृत्त होगा जिसमें “50” अंक अंकित होगा। सिक्के के ऊपरी किनारे पर देवनागरी लिपि में “राजभाषा विभाग का स्वर्णिम वर्ष समारोह” लिखा होगा और सिक्के के निचले किनारे पर अंग्रेजी में “GOLDEN YEAR CELEBRATION OF OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT” लिखा होगा। डिज़ाइन के ऊपरी हिस्से पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या में वर्ष “2025” लिखा होगा।

#### दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उसके ऊपर तक का अंतर हो सकेगा।	1/8000वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/13/2025-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2025

**G.S.R. 412(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin to commemorate the occasion of Golden Year Celebration of Official Language Department) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**- The coin of Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of Golden Year Celebration of Official Language Department.

3. **Dimension and composition of coin.**- The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Pure Silver Silver - 99.9 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of Golden Year Celebration of Official Language Department and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

**THE FIRST SCHEDULE**

[See rule 4]

**FIFTY RUPEES**

**OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “50” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

This face of the coin shall bear the lotus patterned design showing Hindi alphabet on petal of lotus. A circle having the numeral “50” is shown in the center of the coin as well as lotus pattern. The inscription “राजभाषा विभाग का स्वर्णिम वर्ष समारोह” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription “GOLDEN YEAR CELEBRATION OF OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year “2025” shall be written in international numeral on the upper side of the design.

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000 <sup>th</sup> plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/13/2025-Coin]  
 APARNA BHATIA, Adviser